भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4135

12 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत चिह्नित परिवार

4135. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत चिह्नित ऐसे परिवारों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है, जिनके राशन कार्ड रद्द या निलंबित किए गए हैं;

(ख) महाराष्ट्र राज्य में उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफलताओं, सर्वर के ठप्प रहने अथवा डिजिटल सत्यापन से संबंधित अन्य तकनीकी गड़बड़ियों के ऐसे मामलों की संख्या कितनी है, जिनमें पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण से वंचित रहना पड़ा अथवा वितरण में विलंब हुआ;

(ग) क्या सरकार ने प्रमाणीकरण प्रक्रिया, अपवर्जन संबंधी त्रुटियों अथवा नई प्रणाली के कार्यान्वयन का वंचित समुदायों की लाभों तक पहुँच पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो महाराष्ट्र के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसी कोई समीक्षा कराने का प्रस्ताव है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): विगत पाँच वर्षों के दौरान हटाए गए राशन कार्डों की राज्य-वार एवं वर्ष-वार संख्या का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): इस विभाग को ऐसे किसी भी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत विविध प्रमाणीकरण व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें सिंगल फिंगर, फ्यूज़न फिंगर, आइरिस तथा आधार-आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण शामिल हैं।

...2/-

ऐसी स्थिति में, जब परिवार के किसी सदस्य का प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, तो राशन कार्ड से जुड़े पात्र परिवार के अन्य सदस्यों को प्रमाणीकरण करके खाद्यान्न प्राप्त करने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त, विशेष परिस्थितियों में नामित व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिसमें लाभार्थी अपनी ओर से राशन प्राप्त करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है। ई-पीओएस उपकरणों में सीमित अथवा इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने की स्थिति में ऑफलाइन पद्धति में कार्य करने की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफलाइन लेन-देन डाटा को पीडीएस ऑनलाइन प्रणाली के साथ समकालिक करने के लिए ई-पीओएस उपकरणों को समय-समय पर नेटवर्क से जोड़ना आवश्यक होता है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह परामर्श दिया गया है कि नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग संबंधी समस्याओं, अन्य तकनीकी कारणों या लाभार्थी के बायोमेट्रिक की खराब गुणवत्ता के कारण बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणन में विफलता होने की स्थिति में किसी भी वास्तविक लाभार्थी/परिवार को पात्र सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न के कोटे को प्राप्त करने से वंचित न किया जाए।

ये व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करती हैं कि पात्र लाभार्थियों को उनकी पात्रता से न तो वंचित किया जाए और न ही उसमें विलंब हो।

(ग) से (ङ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के कार्यान्वयन की निगरानी को सुदृढ़ बनाने तथा नियमित आधार पर अधिक गहन, विश्लेषणात्मक एवं व्यापक अनुभवजन्य साक्ष्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)** का समवर्ती मूल्यांकन किया गया है। इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन https://dfpd.gov.in/pmgkay-concurrent-evaluation/en. में उपलब्ध है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 12.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 4135 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

हटाए गए राशन कार्डों की स्थिति (2021-2025)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021	2022	2023	2024	2025
1	आंध्र प्रदेश	13,128	30,94,232	52,610	512	102
2	अंडमान और निकोबार	196	950	47	49,215	50,681
3	अरुणाचल प्रदेश	-	1,151	328	268	1,128
4	असम	11,120	28,590	38,590	1,61,516	24,381
5	बिहार	15,678	1,61,809	4,49,525	16,86,266	1,49,043
6	चंडीगढ़	-	684	2,291	207	2,401
7	छत्तीसगढ	10,400	20,715	29,108	57,371	60,496
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2,454	73	1	151	1,101
9	दिल्ली	448	116	3,686	61,292	11,438
10	गोवा	805	2,117	5,801	166	3,467
11	गुजरात	2,19,151	1,32,519	1,35,362	30,889	69,102
12	हरियाणा	-	1,96,174	8,49,972	3,28,557	1,34,3474
13	हिमाचल प्रदेश	2,538	3,299	7,551	9,673	7,400
14	जम्मू और कश्मीर	33,677	2,927	5,403	4,767	3,036
15	झारखंड	-	75,137	29,771	6,374	67,730
16	कर्नाटक	42,558	48,477	74,401	27,105	50,594
17	केरल	1,04,511	41,998	40,800	11,555	7,261
18	लद्दाख	614	30	58	615	764
19	लक्षद्वीप	33	38	89	88	32
20	मध्य प्रदेश	9,93,704	98,186	4,96,092	7,04,848	2,60,285
21	महाराष्ट्र	36,119	1,44,985	2,01,676	1,74,342	1,33,469
22	मणिपुर	9,411	30,493	9,684	7,215	6,515
23	मेघालय	-	402	1,612	449	102
24	मिजोरम	1,637	3,617	4,115	2,548	742
25	नागालैंड	-	3,428	3,177	3,924	1,347
26	ओडिशा	-	64,122	31,240	19,420	1,21,134
27	पुद्दुचेरी	1,731	538	847	898	763
28	पंजाब	3,305	1,52,497	1,23,722	7,520	2,290
29	राजस्थान	1,35,283	2,65,390	26,386	1,03,444	6,05,826
30	सिक्किम	-	458	0	604	2,116
31	तमिलनाडु	2,00,942	86,150	73,875	63,905	33,339
32	तेलंगाना	-	4,988	34,064	3,424	1,40,947
33	त्रिपुरा	1,100	1,254	800	467	4,334
34	उत्तर प्रदेश	7,19,213	9,99,100	7,00,138	8,41,123	5,97,012
35	उत्तराखंड	49,712	66,627	9,691	4,589	3,014
36	पश्चिम बंगाल	2,93,326	6,47,003	7,56,860	5,09,952	3,74,519
	कुल योग	**29,02,794**	**63,80,274**	**41,99,373**	**48,85,259**	**41,41,385**
